प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.04.2024

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दो शातिर वांछित चोरो को चोरी की ज्वैलरी व नगदी सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 09.04.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की चोरी की घटना मे वांछित चल रहे दो शातिर चोरो (1) सुनील कुमार पुत्र स्व0 राजेश्वर निवासी निवासी डी 208 शिव बिहार थाना मोदीनगर गाजियाबाद मूल पता बढिया थाना बरौली पोस्ट बरोली जिला गोपीगंज बिहार उम्र 28 वर्ष व (2) चंद किरण उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 जगदीश निवासी ई 81 महेश मार्ग मोदीनगर थाने के पीछे थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किये गये माल के 02 लाख 07 हजार रुपये नगद व 1 किलो 104.42 ग्राम पीली धातु के आभूषण, सिक्के व बिस्किट बरामद किये गये। अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.02.2024 को पीआरवी 2143 से समय 12.20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अजनारा मार्केट क्रोसिंग रिपब्लिक स्थित एक दुकान का गेट खुला हुआ है जिसमे कुछ पैसा एक थैला मे रखा हुआ है जिस सूचना पर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा पहुँच कर मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवम् रुपये (कुल 12,90,000/-) मिले जिनको सील करके थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया था जिसके पश्चात वादी द्वारा 18.02.2024 को 22 लाख रुपये एव जेवर की चोरी की FIR दर्ज करायी गयी थी। अभियोग पंजीकरण के बाद सीसीटीवी फुटेज एव मुखबिर की सूचना के आधार पर यह साबित हुआ कि अभियोग से संबंधित घटना अभियुक्तों द्वारा दिनांक 07.02.2024 को दिन मे 14.00 बजे कारित की गयी है, और दुकान से पैसा बैगों में निकाल लिया गया था अभियुक्तगण द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिये घटना करते समय हैल्मेट पहन कर एवम् मुँह बांध कर पैसों से भरे 04 बैग निकाले गये थे अभियोग की गहन विवेचना तथा घटना के अनावरण हेतु सघन प्रयास करते हुये सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों का पीछा गया सर्विलांस की मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया गया एवम घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल मसरूका की बरामदगी की गयी। घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त गण बंटी उर्फ चंद किरण व सुनील कुमार उपरोक्त द्वारा घटना स्थल पर आवागमन हेतु थ्री-वीलर का प्रयोग किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे।

अभियुक्त बंटी उर्फ चन्दकिरण अभियुक्त अतुल पाण्डेय का दामाद है। अतुल पाण्डेय द्वारा वादी के घर से घटना से पूर्व दुकान/आफिस की चांबिया चोरी करके अपने दामाद बंटी उर्फ चन्द किरण उपरोक्त को उपलब्ध करायी गयी व बंटी उर्फ चन्द किरण द्वारा अपने साथी सुनील के साथ मिलकर अत्यंत चालाकी से दिन के समय योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया था।

उक्त घटना को कारित करने वाले अन्य 03 अभियुक्त गण अतुल पाण्डेय, अरुण कुमार व नितिन को पूर्व मे गिरफ्तार कर तथा उनके कब्जे से 1,97,00000 रुपये बरामद कर जेल भेजा जा चुका है।

अपराध करने का तरीका -

अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा अपराधिक षडयत्र रचकर दिनांक 07.02.24 को चौकी क्षेत्र क्रोसिंग रिपब्लिक अजनारा मार्केट में स्थित आफिस से रूपयों व आभूषण आदि को चोरी किया गया अभियुक्त अतुल पाण्डेय वादी मुकदमा के घर कुक का काम करता था जिस कारण उसे वादी की व्यवसायिक गतिविधियो की जानकारी थी इस घटना से पूर्व उसके द्वारा कई बार एक-दो लाख रुपये निकाले गये थे वादी को इस बात की जानकारी न होने पर व मन मे बेईमानी व लालचवश अभियुक्तो द्वारा वादी का पूरा पैसा दुकान से चुरा लेने की योजन बना कर घटना कारित की गयी।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त बंटी उर्फ चन्द किरण के ससुर अतुल पाण्डेय विकास जैन के यहां नौकरी करते थे। उसी के सहारे से हम लोग विकास जैन के घर व दुकान पर आते जाते रहते थे और अतुल पाण्डेय को जैन के कैश के लेन देन की सारी जानकारी रहती थी। उन्होने इस घटना से पहले भी जैन के यहां से थोडे थोडे रुपयो की चोरी की थी जो उसे पता नही चल सका था उसके बाद अतुल पाण्डेय का लालच बढता गया और उन्होने डुप्लीकेट चाबी बनाकर हमको दे दी और हम दोनो ने योजना बनाकर दि0 07.02.2024 को अजनारा मार्केट में विकास जैन की दुकान से नोटो के बैग चोरी कर लिए थे जिनमे से 03 बैग अतुल पाण्डेय पुत्र भोला पाण्डेय व उनके साथियो ने रास्ते से हमसे ले गए और रुपया बाद में बांटने की योजना बनाई थी लेकिन पुलिस ने उन तीनो को पकड लिया और काफी पैसा बरामद कर लिया था। अब हम दोनो के पास से यह जो रुपया आपको मिला है उसी चोरी का है काफी रुपया हम लोगो ने मुकदमें की पैरवी व पुलिस से बचने बचाने के चक्कर में इधर उधर भागने व रुकने के ठिकानो पर खर्च कर दिया। काफी कैश व जेवरात, सिक्के, बिस्किट आज पुलिस ने पकड लिये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) सुनील कुमार पुत्र स्व0 राजेश्वर निवासी निवासी डी 208 शिव बिहार थाना मोदीनगर गाजियाबाद मूल पता बढिया थाना बरौली पोस्ट बरोली जिला गोपीगंज बिहार उम्र 28 वर्ष व

(2) चंद किरण उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 जगदीश निवासी ई 81 महेश मार्ग मोदीनगर थाने के पीछे थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक कमि0 गाजियाबाद पर अभि0गण के विरूद्ध चोरी का एक मुकदमा पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -

अभि0गण के कब्जे से चोरी किये गये माल के 02 लाख 07 हजार रुपये नगद

व 1 किलो 104.42 ग्राम पीली धातु के आभूषण, सिक्के व बिस्किट।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना क्रोसिंग रिपब्लिक कमि0 गाजियाबाद

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा धोखाधडी कर फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 अन्तर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से फैक्ट्री मेड 08 शस्त्र बरामद

दिनाँक-09/04/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य से फर्जी तरीके से अवैध शस्त्र लाईसेन्स तैयार कराकर पिस्टल, रिवाल्वर, रायफल व बन्दूक खरीदवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर अभियुक्त को केन्द्रीय विद्यालय के पास थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण

सफलता हासिल की गयी है जिसके कब्जे से फैक्ट्री मेड 04 पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 01 रिवाल्वर .32 बोर, 02 रायफल 315 बोर मय मैगजीन, 01 डबल बैरल बन्दूक 12 बोर, फर्जी शस्त्र लाईसेन्स व फर्जी शस्त्र लाईसेन्स तैयार करने की सामग्री, रबर स्टॉम्प आदि बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त प्रमेन्द्र ने बताया कि वह बी.ए. पास है तथा आर्मी मे सेना पुलिस में नायब सूबेदार पद से रिटायर है आर्मी मे नौकरी के दौरान वर्ष 2012-2013 मे जब उसकी पोस्टिंग मॉल कैम्प हिमाचल प्रदेश में थी तो उसी दौरान वहाँ पर आर्मी वालो का शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए जम्मू-कश्मीर से 3-4 एजेन्ट आते रहते थे प्रमेन्द्र को भी शस्त्र लाईसेन्स बनवाना था तो उन एजेन्टों मे से एक एजेन्ट जिसका नाम अमित मुतरेजा उर्फ अनिकेत अवस्थी उर्फ अनिरूद्ध शास्त्री निवासी जयपुर राजस्थान व कृष्ण कुमार सोनी नामक व्यक्ति जो शस्त्र लाइसेंस बनवाने का काम करते थे, उन्होने प्रमेन्द्र को कहा कि जम्मू एण्ड कश्मीर में हमारी जान पहचान हैं तुम्हे थोडे से पैसे खर्च करने पडेंगे हम ही तुम्हारा शस्त्र लाइसेंस बनवाकर दे देंगे तो प्रमेन्द्र ने चक्कर काटने से बचने के लिये अमित मुतरेजा उपरोक्त को 15000/- रूपये और अपना पहचान पत्र व अन्य कागज दिये थे तो अमित मुतरेजा ने जम्मू एण्ड कश्मीर के किश्तवाड जनपद से प्रमेन्द्र का शस्त्र लाइसेंस बनवा दिया था और कहा कि मेरी जम्मू-कश्मीर मे शस्त्र लाईसेन्स बनाने वालो से अच्छी बात है तुम्हारा कोई भी जानकार हो जो आर्मी की नौकरी न करता हो तो भी मैं उसका शस्त्र लाइसेंस बनवा दूँगा लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आयेगा और उसमे प्रमेन्द्र को कमीशन भी देगा अमित की यह बात सुनकर प्रमेन्द्र के मन में लालच आ गया उसके बाद प्रमेन्द्र ने गाजियाबाद व नोएडा के अपने जानने वाले कुछ लोगो से सम्पर्क करके अमित मुतरेजा के साथ मिलकर शस्त्र लाईसेन्स बनवाने के लिए उन लोगो के पहचान पत्र, अन्य कागजात व रूपये लेकर उनके कागजो में कुछ और फर्जी कागजात लगाकर जम्मू कश्मीर के जनपद किश्तवाड व कुपवाडा मे जिलाधिकारी कार्यालय के शस्त्र विभाग में कुछ अधिकारी कर्मचारियों के साथ सेटिंग से उनके फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवा दिये थे तथा कुछ लोगो के कागजो की छायाप्रति प्रमेन्द्र ने अपने पास रखी थी। पिस्टल का लाइसेंस बनवाने के लिए प्रमेन्द्र उन लोगो से 80000/- प्रति लाइसेन्स व रायफल के लाइसेंस के 90000/- रूपये प्रति लाईसेन्स लिये थे। पूरी प्रक्रिया समझने व देखने के बाद प्रमेन्द्र लगा कि जम्मू कश्मीर से शस्त्र लाईसेन्स बनाना बहुत आसान है तो उसने वहाँ के शस्त्र कार्यालय मे सैटिंग से कुछ सादी (Blank) शस्त्र लाईसेन्स की किताबें निकलवा ली थी बाद में उसने उन सादा शस्त्र लाईसेन्स की किताबों को अपने शस्त्र लाइसेंस के जैसा तैयार कर उनमें अपने लाईसेन्स के यूनीक नम्बर में हेरा फेरी करके फर्जी बनवायी गयी स्टॉम्प लगाकर तैयार कर फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बना दिये और जिसका लाईसेन्स होता उसे शस्त्र दिलवाने के लिए प्रमेन्द्र स्वंय आर्मी की वर्दी पहनकर फर्जी शस्त्र लाईसेन्स लेकर गन हाऊस पर जाकर शस्त्र पिस्टल/रायफल/रिवाल्वर/बन्दूक दिलवा देता था प्रमेन्द्र ने उन लोगो को फर्जी लाईसेन्स पर शस्त्र मेरठ, बुलन्दशहर व नोएडा स्थित गन हाउस से खरीदवाये थे , जिन लोगो को प्रमेन्द्र ने फर्जी शस्त्र लाईसेन्स दिये थे उनको यह जानकारी नहीं थी कि उनके शस्त्र लाइसेसं फर्जी है प्रमेन्द्र के वर्दी में होने के कारण गन हाउस वालो को भी प्रवेन्द्र के ऊपर शक नही होता था शस्त्र लाईसेन्स का रिन्यूवल करवाने के लिए प्रमेन्द्र शस्त्र लाईसेन्स धारकों से 5-5 हजार रूपये लेकर कुछ दिनो बाद फर्जी तरीके से स्वय ही मोहर लगाकर व तारीख लिखकर उनको वापस दे देता था बाद मे पुनः शस्त्र का रिन्यूवल कराने के लिए उन लोगो ने प्रमेन्द्र को शस्त्र व लाईसेन्स और पैसे दिये थे इसी दौरान प्रमेन्द्र व अमित मुतरेजा उपरोक्त का पैसो के लेन देन को लेकर झगडा होने पर आपस में मुकदमे बाजी हो गयी जिसमें पुलिस प्रमेन्द्र के घर उसे पकडने के लिये जाती थी इसीलिए उसने डर के मारे सारे शस्त्र लाइसेन्स नष्ट कर दिये थे और असलहे छिपा दिये थे उसके बाद प्रमेन्द्र जेल चला गया जेल से आने के बाद सभी लाईसेन्सधारी बार बार प्रमेन्द्र से अपने शस्त्र लाइसेन्सो को रिन्यूवल कराने व शस्त्र वापस देने के लिये कह रहे थे, तो प्रमेन्द्र इस प्रयास मे था कि किसी तरह फर्जी तरीके से पुनः शस्त्र लाईसेन्स बनाकर व उस पर स्टॉम्प आदि लगाकर उन्हे वापस कर दे। अब चुनाव का माहौल चल रहा हैं तो प्रमेन्द्र को डर था कि कही पुलिस को यह सब पता न चल जाये और उसके घर छापा न मार दे इसलिये वह इसे जल्दी बनाकर वापस देने के प्रयास मे था।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है इसके द्वारा नोएडा व गाजियाबाद के कई लोगो के साथ धोखाधडी करके फर्जी तरीके से जम्मू-कश्मीर राज्य के किश्तवाड व कुपवाडा जनपद मे सेटिंग करके फर्जी तरीके से लोगो के शस्त्र लाईसेन्स बनवाये गये है अभियुक्त से कई अन्य महत्तवपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस पूरे जालसाजी कर शस्त्र लाईसेन्स बनाने मे संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.प्रमेन्द्र कुमार तेवतिया पुत्र स्व0 श्री राजवीर सिह निवासी ग्राम गन्नौरा शेख थाना कोतवाली शहर बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर हाल पता- अजय के मकान मे किराये पर नियर जाट चौक ग्राम चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद- गौतमबुद्धनगर उम्र करीब-52 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.फैक्ट्री मेड पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन - 04
2.फैक्ट्री मेड रिवाल्वर .32 बोर – 01
3.फैक्ट्री मेड रायफल 315 बोर मय मैगजीन- 02
4.फैक्ट्री मेड डबल बैरल बन्दूक – 01
5.फर्जी शस्त्र लाईसेन्स- 01
6.शस्त्र लाईसेन्स सादा- 01
7.आर्मी का फर्जी पहचान पत्र- 01
8.फर्जी शस्त्र लाईसेन्सों की छायाप्रतियाँ- 02 अलग-अलग नामों की
9.जम्मू-कश्मीर के जनपद किश्तवाड व कुपवाडा के शस्त्र लाईसेन्स कार्यालय एंव जिला मजिस्ट्रेट की फर्जी रबर स्टॉम्प- 06 अदद

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त प्रमेन्द्र के विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर मे 01 तथा गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. क्राईम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की गयी 10.3 किलोग्राम कॉपर वायर बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 07.04.2024 को वादी आशीष मित्तल पुत्र श्री विनोद कुमार मित्तल निवासी जी 133/134 पटेल नगर तृतीय गाजियाबाद ने अपनी फैक्ट्री vinod udyog pvt ltd add C-154 में अज्ञात चोरों द्वारा COPPER WIRE चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. नवीत कुमार पुत्र श्री लीले सिह निवासी हरिजनो की चौपाल ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष 2. अमन पुत्र सत्यवीर निवासी बी 115 सेक्टर 02 चिरंजीव विहार शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को मुखर्जी पार्क चौराहा औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम दोनो ने आत्माराम स्टील के पास बंद पड़ी फैक्ट्री के रास्ते से घुसकर एक फैक्ट्री में से चुराया था जिसको हम आज बेचने की फिराक में थे।

बरामदगीः-

10.3 किग्रा कॉपर वायर

अभियुक्त का नाम पता-

1. नवीत कुमार पुत्र श्री लीले सिह निवासी हरिजनो की चौपाल ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष
2. अमन पुत्र सत्यवीर निवासी बी 115 सेक्टर 02 चिरंजीव विहार शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद